न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड़)

प्रार्थना पत्र स0:–180/2025 पीठासीन अधिकारी–ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

राज्य सरकार जरिये प्रवीण कुमार नायब तहसीलदार बहरोड, (कोटपूतली–बहरोड़)

––प्रार्थी

बनाम

श्री दिनेश राव गैस चूल्हा व भट्टी के ऑर्नर निवासी–बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ मोबाईल–9571941010

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 09 घेरलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा बीपीसी मय 113.6 किग्रा. एलपीजी व 01 छोटा सिलेण्डर 5 किग्रा. को राजसात करने बाबत्।

उपस्थितः–
1. पैरोकर रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी।

निर्णय

दिनांक 27-4-26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण प्रार्थी श्री प्रवीण कुमार नायब तहसीलदार बहरोड द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 04–08–2025 को घरेलू गैस की अवैध उपयोग/कालाबाजारी होने की लिखित शिकायत पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ तथा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बहरोड से प्राप्त निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर नगरपरिषद् कार्यालय गेट के सामने घनश्याम यादव के मकान के उत्तर में एक कमरे में अवैध गैस सिलेण्डरों के क्रय–विक्रय एवं भण्डारण का कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर करतार सिंह चौधरी के मकान में बाहर की तरफ खुलती दुकान में 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) तथा एक छोटा सिलेण्डर 5 किग्रा पाया गया। उक्त सिलेण्डरों के संबंध में पूछताछ करने पर श्री दिनेश, राव गैस चुल्हा भट्टी के मालिक द्वारा यह बताया गया कि यह दुकान मैंने किराये पर ली हुई है। उक्त सिलेण्डरों में भरे हुए 08 सिलेण्डर आईओसीएल, 01 सिलेण्डर एच0पी0 तथा एक खाली छोटा सिलेण्डर 5 किग्रा था। जिनकी बहरोड इण्डेन गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि से माप तौल करने पर 113.06 किग्रा. गैस भरी हुई पाये गयी। श्री दिनेश, राव गैस चूल्हा भट्टी के मालिक से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के बारे में पूछताछ करने पर कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया गया और ना ही कोई वैध दस्तावेज/अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार श्री दिनेश द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध क्रय, विक्रय, भण्डारण स्वयं के लाभ प्राप्त करने के हित को स्पष्ट करता है

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर उक्त आदेश का उल्लंघन स्पष्ट पाये जाने पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा मय 113.06 किग्रा. एलपीजी, को जब्त सरकार किया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स बहरोड़ इण्डेन गैस एजेन्सी के मैनेजर शशिकान्त की सुपुर्दगी में नियमानुसार वजन करवाकर दिया गया। फर्द जब्ती, फर्द सुपर्दगी एवं फर्द मौका जांच रिपोर्ट के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैराकार ने जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धार–6ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान किये गये। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब पेश ना कर सीधे बहस करने का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अप्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा कोई क्रय–विक्रय का कार्य नहीं किया जाता है। अप्रार्थी को जानबूझकर फंसाया गया है। अप्रार्थी एक छोटा दुकानदार है और कानून की जानकारी न होने के कारण रिकॉर्ड नहीं रख सका इसलिए अप्रार्थी के खिलाफ की गई कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करें। प्रार्थी सरकार पैरोकार ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि श्री दिनेश द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध क्रय, विक्रय, भण्डारण स्वयं के लाभ के लिए करता है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन किया है तथा धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। जिस पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (इसमें भरे हुए 08 सिलेण्डर आईओसीएल, 01 सिलेण्डर एच०पी०, 14.2 किग्रा) तथा एक छोटा सिलेण्डर 5 किग्रा को जब्त किया गया जिसे राजसात करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका जब्ती का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सरकार पैरोकार के आरोप अनुसार श्री राहुल भाटी पुत्र श्री दिनेश द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध क्रय, विक्रय, भण्डारण स्वयं के लाभ प्राप्त करने के हित को स्पष्ट करता है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लघंन किया किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है इसके विपरीत अप्रार्थी या अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये जिसे यह साबित हो सके की यह कृत्य उसके द्वारा नहीं किया गया हो फलस्वरूप जब्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (इसमें भरे हुए 08 सिलेण्डर आईओसीएल, 01 सिलेण्डर एच०पी०, 14.2 किग्रा) तथा एक छोटा सिलेण्डर 5 किग्रा को राजसात किया जाना उचित समझते है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (इसमें भरे हुए 08 सिलेण्डर आईओसीएल, 01 सिलेण्डर एच०पी०, 14.2 किग्रा) तथा एक छोटा सिलेण्डर 5 किग्रा, को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

6. निर्णय प्रति जिला रसद अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।
7. निर्णय आज दिनांक 27...1...26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़